

जन-जन की वाणी...


सौन वर्षा वाणी

औरंगाबाद, पटना, आरा एवं दुमका से प्रकाशित


शुल्क पक्ष, तैतिल, विक्रम संवत् 2082

• औरंगाबाद • दीवार • 05 अक्टूबर 2025 • वर्ष 27 • अंक 295 • पृष्ठ 12

मूल्य ₹ 2.00



महात्मा गांधी



डॉ राजेन्द्र प्रसाद



डॉ बी. आर. अंबेडकर



बेगम ऐजाज रसूल



बलवंत राय मेहता



अशोक मेहता



जी. जयश्री राव



डॉ एल.एम. सिंहवी

ग्राम पंचायत विकास पार्टी बुनियादी सोंच-युवा उत्साह के साथ

विज्ञान

मिशन

संरक्षक

ग्राम पंचायतों को पूर्ण स्वराज सत्ता का लोकतांत्रिक विकेन्द्रीकरण (Democratic Decentralization of Power)

मो. इजहार आलम, वरीय अधिवक्ता, उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली, सन् 2025 में भारत के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार

ग्राम स्वराज : महात्मा गांधी का सपना ग्राम स्वराज का था, जिसका अर्थ है गांव में आत्मनिर्भरता और स्वशासन। उन्होंने विश्वास किया कि भारत की आत्मा गांवों में बसती है, और सच्चे स्वराज की प्राप्ति तभी संभव है जब गांव आत्मनिर्भर और सशक्त हों। गांधीजी का ग्राम स्वराज, जिसे वे भारत की स्वतंत्रता का मूल स्वरूप मानते थे, का अर्थ है स्व-शासित, आत्मनिर्भर और न्यायपूर्ण गांव। यह एक ऐसा समाज है जहां हर गांव एक स्वतंत्र इकाई के रूप में विकसित होता है, अपनी जुरूरों को खुद पूरा करता है और सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक रूप से सशक्त होता है। **ग्राम स्वराज का उद्देश्य :** ग्राम स्वराज का मुख्य उद्देश्य एक ऐसा समाज बनाना है जो आत्मनिर्भर, लोकतांत्रिक और न्यायपूर्ण हो। **ग्राम स्वराज का महत्व :** गांधीजी का मानना था कि ग्राम स्वराज के माध्यम से ही भारत एक मजबूत और खुशहाल देश बन सकता है। उनका यह भी मानना था कि ग्राम स्वराज से लोगों में आत्मविश्वास और आत्मसम्मान बढ़ेगा और वे अपने जीवन को बेहतर बनाने को प्रेरित होंगे। **ग्राम स्वराज का लक्ष्य :** गांधीजी चाहते थे कि प्रत्येक गांव में ऐसा गणराज्य हो जो अपनी आवश्यकताओं के लिए दूसरों पर निर्भर न हो। उनका मानना था कि ग्राम स्वराज से ही भारत में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय स्थापित किया जा सकता है।

लोकतांत्रिक विकेन्द्रीकरण : लोकतांत्रिक विकेन्द्रीकरण का मतलब सत्ता एवं नियंत्रण की वितरण और नियंत्रण लेने का अधिकार शासन के निचले स्तर तक पहुंचना है। अर्थात् नियंत्रण लेने की प्रक्रिया में आम लोगों की भागीदारी सुनिश्चित हो सके और स्थानीय स्तर पर समस्याओं का समाधान स्थानीय सरकारों द्वारा किया जा सके। **सत्ता का विभाजन :** लोकतांत्रिक विकेन्द्रीकरण का मुख्य उद्देश्य सत्ता को एक स्थान पर केंद्रित न करके विभिन्न स्तरों पर बांटना है। इससे स्थानीय सरकारों को अपनी—अपनी क्षेत्रों की समस्याओं को समझने और उनका समाधान करने का अधिकार मिलता है। **स्थानीय स्वायत्तता :** स्थानीय स्तर पर निर्वाचित सरकारें अपने क्षेत्र के विकास के लिए योजनाएं बना सकती हैं और उन्हें लागू कर सकती हैं। इससे स्थानीय लोगों को अपनी जुरूरतों के अनुसार विकास की प्रक्रिया को आकार देने का मौका मिलता है। **प्रशासन में सुधार :** विकेन्द्रीकरण से शासन में पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ती है क्योंकि स्थानीय सरकारें सीधे लोगों के प्रति जवाबदेह होती हैं। संक्षेप में, लोकतांत्रिक विकेन्द्रीकरण का उद्देश्य शासन को अधिक समावेशी और प्रभावी बनाना है। **लोकतंत्र की मजबूती :** लोकतांत्रिक विकेन्द्रीकरण, लोकतंत्र को मजबूत करता है क्योंकि यह लोगों को सत्ता में सीधे भागीदारी का अवसर देता है और उन्हें स्थानीय मामलों में नियंत्रण लेने का अधिकार देता है।

ग्राम पंचायतों को पूर्ण स्वराज क्यों?



पार्टी द्वारा प्राथमिकता के आधार पर किये जानेवाले कार्य :-

1. ● विहार / देश में बुजुर्ग माता—पिता की देख—भाल तथा उनकी जरूरतों को उनके बच्चों से पूरा करवाने के लिए मौजूदा कानूनों को ज्यादा से ज्यादा प्रभावी बनाने के लिए विधि सम्मत प्रयास करेगी तथा सास—ससुर की सेवा करनेवाली बहुओं को सरकार द्वारा प्रोत्साहन राशि दिलाने के लिए प्रयास करेगी जिससे कि बुजुर्ग माता—पिता अपने जीवन के अंतिम पड़ाव में अधिक सुखमय जीवन व्यतीत कर सकें। 2. ● देश की सीमाओं पर शहीद होनेवाले हमारे वीर भाई / बहनों, देश के स्वतंत्रता संग्राम में शहीद हुए स्वतंत्रता सेनानियों, ऐतिहासिक व्यक्तित्वों तथा देश की आजादी के बीचों / बीरांगनाओं तथा समाज सुधार के लिए पूर्ण रूप से समर्पित अभूतपूर्व व्यक्तित्वों इत्यादि को सच्ची श्रद्धालूनी देने के लिए उनके ग्राम, थाना, प्रखण्ड, शहर, जिला, सड़क, पार्क, स्कूल / कॉलेज, रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट इत्यादि का नामकरण कराने का मोका मिलता है। 3. ● 70 वर्ष से अधिक उम्र के सभी महिलाओं / पुरुषों को राज्य के अन्दर निःशुल्क यात्रा सुविधा दिलाने के लिए प्रयास करेगी। 4. ● 40 वर्ष से अधिक उम्र के सभी महिलाओं / पुरुषों को राज्य के अन्दर निःशुल्क पर्यटन / धार्मिक रथों की यात्रा सुविधा दिलाने के लिए प्रयास करेगी। 5. ● सभी उम्र की छात्राओं को राज्य सरकार द्वारा संचालित ट्रांसपोर्ट में राज्य के अन्दर निःशुल्क यात्रा सुविधा दिलाने के लिए प्रयास करेगी। 6. ● प्राईवेट अस्पतालों में भी महिलाओं की नॉर्मल डिलीवरी कराने पर प्राईवेट अस्पतालों को सरकार द्वारा प्रोत्साहन दिलाने का प्रयास करेगी। 7. ● प्राईवेट अस्पताल में भी इलाज के दौरान मरीज के नहीं बचने की शिथि तो मरीज का शेष बिल माफ करवाने का प्रयास करेगी। 8. ● ग्राम पंचायतों में भी महिलाओं की नॉर्मल डिलीवरी कराने पर प्राईवेट अस्पतालों को जिंदा रखने का प्रयास करेगी। 9. ● ग्राम पंचायतों में भी भरपूर कोशिश करेंगे तथा दूसरा डॉक्टर / अस्पताल की यात्रा सुविधा दिलाने का प्रयास करेगी। 10. ● ग्राम पंचायतों में भी अपने मत के प्रयोग का अधिकार दिलाने का प्रयास करेगी।

ग्राम कचहरी/न्याय पंचायतों को और अधिक शक्तियाँ क्यों?



अध्यक्षीय संदेश—भारत के आजाद होने के पहले और आज आजादी के लगभग 79 वर्षों बाद भी अगर एक नारा सामयिक है तो वह है—“भारत की आत्मा गांवों में बसती है” बिना गांव की उन्नति के भारत की उन्नति हर वक्त अधूरी और एकांकी रहेगी और आजादी के इन 79 वर्षों के बाद भी हमलोग खासकर ग्रामीण समाज के लोगों और पिछड़े लोगों की दशा आज भी लगभग पूर्ववत ही है। अशिक्षा, गरीबी और जागरूकता की कमी के कारण आज भी हमलोगों जैसे लाखों परिवहारों को बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है जिसके फलस्वरूप हमलोगों के परिवार के लोग विश्वास, स्वास्थ्य, नैरसिंक न्याय जैसे बुनियादी जरूरतों के लिए आज भी संघर्ष कर रहे हैं। सत्य, सादगी एवं प्रेम के प्रतीक महात्मा गांधी के विचारों को लोगों तक पहुंचाने की बात ही या फिर पचायती राज व्यवस्था के अग्रदृष्ट गांधी के भारत में महात्मा गांधी के एक अधूरे सपने (देश के सभी ग्राम पंचायतों को पूर्ण स्वराज दिलाने और सभी ग्राम कचहरी / न्याय पंचायतों को और अधिक शक्तियाँ दिलाने) के लिए प्रयास करेगी।

ग्राम पंचायत विकास पार्टी (GPVP) देश के त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को उनके अधिकारों (ग्राम पंचायतों को पूर्ण स्वराज दिलाने) के लिए समर्पित एवं संकलिप्त अपनी तरह की एक ऐसी पार्टी है जो जागरूकता की कमी के कारण अधिकारों से विचित्रों को उनके अधिकारों के बारे में जागरूक कर उन्हें भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त अधिकारों को दिलाने के लिए प्रयासरत है।

ग्राम पंचायत विकास पार्टी (GPVP) एक विकासात्मक सोंच और पवित्र प्रयास की परिकल्पना है। अगर इस प्रयास में जुड़े कार्यकर्ता पूरी तर्फ़ात, एकाग्रता और ईमानदारी के साथ अपनी सोंच और सेवा दे पाये तो वह हमारे समाज की अधिकारी कतार में बैठे हुए वे लोग जो सदियों से अधिकारों से वंचित किये जाते रहे हैं, वे भी गर्व के साथ यह कह सकेंगे कि हम भी अपने कर्तव्यों एवं अधिकारों के प्रति जागरूक हैं। इस पार्टी की परिकल्पना एवं प्रारंभ काफी चिंतन, मनन और मंथन के उपरांत किया गया है, जिसकी कामयादी का सारा दारोमदार हमारे उन उर्जावान एवं कर्मसूलों पर है जो अपेक्षा करते हैं।

इस पावन उद्देश्य की पूर्ति हेतु पार्टी के माध्यम से देश के बुनियादी बातों को आपके सामने इस उम्मीद के साथ प्रस्तुत कर रहा है कि इस पवित्र प्रयास में आपका समुचित सहयोग, आशीर्वाद और दिशा—निर्देश मिलता है।

अनुरोध—पार्टी की स्थापना का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण भारत को विकसित करने के लिए होकर त्रिस्तरीय पंचायती राज स

